

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0 62/2012- 53 (ओक्टो) /कृ, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से.)

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय :

वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना के बकाया राशि के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग के लिए 98.859 लाख (अठानवे लाख पचासी हजार नौ सौ) रु0 निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप सामान्य वर्ग के लिए 98.859 लाख (अठानवे लाख पचासी हजार नौ सौ) रुपये की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृतिदेश संख्या 2965 दिनांक 15.06.2015 द्वारा वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना के बकाया राशि के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग के लिए 98.859 लाख (अठानवे लाख पचासी हजार नौ सौ) रु0 निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अर्न्तगत व्यय हेतु 98.859 लाख (अठानवे लाख पचासी हजार नौ सौ) रु0 की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त 98.859 लाख (अठानवे लाख पचासी हजार नौ सौ) रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0112 भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड- पी2402001020112, राज्य योजना स्कीम कोड ए0जी0आर0:5038, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, वर्ष 2015-16 में उपबंधित 1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख) रु0 से की जायेगी।

8. आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी।

9. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दी जा रही है।

10. इस योजना के स्वीकृतिदेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी.भी. नम्बर के साथ व्यय विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वसाभाजन

(15/28/6/15)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 53 (ओक्टो)

/भू0सं0, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रति :- 1. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/28/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 53 (आवेदन)

/भू0सं0, पटना, दिनांक 30-06-2015

प्रति :- कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15/28/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

53

